उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 71/एन0बी0/एस0बी0/2020

प्रवीण कुमार आयु 38 वर्ष पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह, निवासी 313 खेड़ा जाट, हरिद्वार, जिला हरिद्वार।

.....याची

बनाम्

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा गृह सचिव, सचिवालय देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमाऊं परिक्षेत्र, नैनीताल।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंह नगर, जिला उधमसिंह नगर

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

उपस्थितिः श्री डी0एन0 शर्मा एवं श्री मोहित कुमार, विद्वान अधिवक्ता–याचीकर्ता ।
श्री किशोर कुमार, विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी–विपक्षीगण।

निर्णय

दिनांकः जनवरी 08, 2024

प्रस्तुत याचिका, याचीकर्ता द्वारा, विपक्षी स0 4 द्वारा पारित परिनिन्दा सम्बंधी आलोच्य दण्डादेश दिनांक 25.01.2020 (संलग्नक सं0 1) एवं विपक्षी सं0 3 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27.04.2020 (संलग्नक सं0 2) को निरस्त किए जाने हेतु दाखिल की गयी है।

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची जब वर्ष–2018 में उपनिरीक्षक, थाना नानकमत्ता जनपद ऊधमसिंह नगर में नियुक्त थे तो थाना नानकमत्ता में एफआईआर नं० 101/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना याचीकर्ता के सुपुर्द की गयी थी। अभियोग की विवेचना में याची द्वारा पर्चा नं0 01 दिनांक 20.04.2018 में किता कर दिनांक 28.04.2018 में व दिनांक 30.05.2018 को पर्चा नं0 02 किता कर सीसीटीएनएस में आरोप पत्र अंकित करवाकर उक्त तिथि में थाना नानकमत्ता कार्यालय में मौजूद मुंशी को आरोप पत्र मय पर्चे दिया जाना बताया गया। अभियोग में आरोप–पत्र पेशी कार्यालय खटीमा के अभिलेखों में किता होना न पाये

जाने पर प्रचलित की गयी जांच से तत्समय थाना नानकमत्ता में डाक सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन कर रही म०का० 752 प्रियंका चन्याल द्वारा बताया गया कि याची द्वारा चार्जशीट उन्हें नहीं दी गयी। थाना कार्यालय एंव सीसीटीएनएस में नियुक्त म०आरक्षी पिंकी नन्दा द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा बोल–बोलकर आरोप पत्र कम्प्यूटर में फीड करवाया गया, आरोप पत्र की एक प्रति मय दस्तावेज यह उ०नि० अपने साथ ले गये। जांच से प्रथम दृष्टया मूल आरोप पत्र मय अभियोग दैनिकी याचीकर्ता की लापरवाही के कारण गुम होना परिलक्षित हुआ है जो याची के कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीता, शिथिलता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

3. उक्त आरोप के संबंध में प्रारम्भिक जांच संपादित की गई, जिसके आधार पर उत्तरदाता सं0 4 द्वारा याचीकर्ता के विरूद्ध दिनांक 07–09–2019 को परिनिन्दा लेख प्रदान किये जाने विषयक कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था कि क्यों न आपके इस कृत्य के लिए उत्तराखण्ड { उ0 प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी /कर्मचारी की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 } अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम 14 (2) की विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत आपकी चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित कर दिया जाये। जिसकी एक प्रति याचीकर्ता द्वारा दिनांक 12–10–2019 को प्राप्त की गयी। कारण बताओ नोटिस के साथ केवल प्रारम्भिक जांच आंख्या की प्रति ही संलग्न होकर प्राप्त हुयी, लेकिन इसके साथ किसी भी गवाह या गवाहों के बयानों की नकलें संलग्न नहीं की गयी है और न याची को प्राप्त हुई। याचीकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस का विस्तृत एवं प्रस्तवार लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 23.10.2019 को उपलब्ध कराया गया एवं अपने ऊपर लगाये गये समस्त आरोपों को नकारते हुए अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए तमाम तर्क प्रस्तुत किया गया, परन्तु याचीकर्ता के स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों पर बिना विचार किये याचीकर्ता के विरूद्ध लघु दण्डादेश परिनिन्दा लेख दिनांक 25.01.2020 पारित किया गया, जो अविधिक एवं अनियमित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। जांच अधिकारी ने प्रारम्भिक जांच के सम्पादन के मध्य, केवल म0आर0 752 प्रियंका चन्याल तत्कालीन तैनाती थाना नानकमत्ता जनपद उधमसिंहनगर, आ0 1062 ना0पु0 प्रकाश आर्य थाना नानकमत्ता जनपद उधमसिंह नगर, आ0 1115 ना0पु0 दीपेन्द्र जोशी तत्कालीन तैनाती क्षेत्राधिकारी पेशी खटीमा, म0आ0 361 पिंकी नन्दा तत्कालीन तैनाती थाना नानकमत्ता जनपद उधमसिंहनगर और याची के ही बयान लिये हैं। याची ने उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा याची की अपील में उल्लिखित तथ्यों पर विचार किये बिना अपने अपीलीय आदेश दिनांक 27.04.2020 (संलग्नक सं0 2) द्वारा अपील अस्वीकृत कर दी। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गयी।

4. विपक्षीगण की ओर से याचीकर्ता के याचिका के उपरोक्त कथनो के विरूद्ध प्रतिशपथपत्र/ लिखित विवेचन संक्षेप में इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया गया कि याची द्वारा किये गये कथन निराधार हैं क्योंकि याचीकर्ता जब थाना नानकमत्ता, जनपद उधमसिंहनगर में नियुक्त था तो थाना नानकमत्ता में एफ०आई०आर० संख्या 101/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना याची के सुपुर्द की गयी थी। अभियोग की विवेचना में इनके द्वारा पर्चा संख्या 01 दिनांक 20.04. 2018 में किता कर, दिनांक 28.04.2018 में व दिनांक 30.05.2018 को पर्चा नम्बर 02 किता कर सीसीटीएनएस में आरोप पत्र अंकित कराकर, उक्त तिथि में नानकमत्ता कार्यालय में मौजूद मुंशी को आरोप पत्र मय पर्चे दिया जाना बताया गया। अभियोग में आरोप पत्र पेशी कार्यालय खटीमा के अभिलेखों में किता होना न पाये जाने पर प्रचलित की गयी जांच से तत्समय थाना नानकमत्ता में डाक सम्बंधी कार्य का निष्पादन कर रही महिला कानि० 752 प्रियंका चन्याल द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा चार्जशीट उन्हें नहीं दी गयी एवं थाना कार्यालय एवं सीसीटीएनएस में नियुक्त महिला आरक्षी पिंकी नन्दा द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा बोल–बोल कर आरोप पत्र कम्प्यूटर में फीड कराया गया था। आरोप पत्र की एक प्रति मय दस्तावेज याची अपने साथ ले गये। जांच से प्रथम दृष्टिया मूल आरोप पत्र मय अभियोग दैनिकी के याची की लापरवाही के कारण गुम होना परिलक्षित हुआ है जो याची का अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही है।

5. उक्त प्रकरण में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, खटीमा द्वारा प्रारम्भिक जांच की गयी तथा अपनी जांच आख्या दिनांकित 08.05.2019 कार्यालय का प्रेषित की गयी जिस पर संज्ञान लेते हुये उत्तराखण्ड (उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि०/कर्म० की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम 14 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये किया गया। उक्त कारण बताओ नोटिस के साथ जांच की प्रति संलग्न कर प्रेषित कि गयी जो कि याची द्वारा दिनांक 12.10.2019 को प्राप्त की गयी तथा अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 23.10.2019 को पुलिस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। याची के लिखित स्पष्टीकरण का अध्य्यन/अवलोकन किया गया तथा उसके स्पष्टीकरण में कोई बल नहीं पाते हुये कारण बताओ नोटिस में दिये गये दण्डादेश अर्थात परिनिन्दा प्रविष्टि का आदेश संख्या द–35/2019 दिनांकित जनवरी 25.01.2020 निर्गत किया गया जो कि उचित एवं सही है। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध याची द्वारा अपील प्रेषित की गयी जिसको पुलिस उप महानिरीक्षक कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल के आदेश दिनांकित 27. 04.2020 के द्वारा अस्वीकृत की गयी। अतः याचीकर्ता की याचिका असत्य एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, जिस कारण उक्त याचिका खारिज होने योग्य है।

6. याची की ओर से विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त लिखित कथनो के विरूद्ध प्रतिउत्तरशपथपत्र दाखिल किया गया जिसमें विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन में किये गये कथनों का प्रतिकार करते हुए याचिका में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

7. मैंने याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदातागण की ओर से विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

8. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि याचीकर्ता को विपक्षी सं0 4 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.09.2019 जिसमें याचीकर्ता के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया कि ''**वर्ष 2018 में जब यह उ0नि0 थाना नानकमत्ता जनपद उधमसिंहनगर में नियुक्त थे तो थाना नानकमत्ता में एफआईआर नं0 101/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना इनके सुपुर्द की गयी थी। अभियोग की विवेचना में इनके द्वारा पर्चा नं0 01 दिनांक 20.4.18 में किता कर दिनांक 28.4.18 में व दिनांक 30. 5.18 को पर्चा नं0 2 किता कर सीसीटीएनएस में आरोप–पत्र अंकित करवाकर उक्त तिथि में थाना नानकमत्ता कार्यालय में मौजूद मुंशी को आरोप–पत्र मय पर्चे दिया जाना बताया गया। अभियोग में आरोप–पत्र पेशी कार्यालय खटीमा के अभिलेखों में किता होना न पाये जाने पर प्रचलित की गयी जांच से तत्समय थाना नानकमत्ता में डाक संबंधी कार्यों का निष्पादन कर रही म0का0 752 प्रिंयका चन्याल द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा चार्जशीट उन्हें नहीं दी गयी एवं थाना कार्यालय एवं सीसीटीएनएस में नियुक्त म0 आरक्षी पिंकी नन्दा द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा बोल–बोलकर आरोप–पत्र कम्प्यूटर में फीड करवाया गया आरोप–पत्र की एक प्रति मय दस्तावेज यह उ0नि0 अपने साथ ले गये । जांच से प्रथम दृष्टया मूल आरोप–पत्र मय अभियोग दैनिकी इनकी लापरवाही के कारण गुम होना परिलक्षित हुआ है जो इनका अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, शिथिलता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है जिसकी परिनिन्दा की जाती है।**''

9. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि उपरोक्त कारण बताओ नोटिस में वर्णित आरोंपों के विरूद्ध याचीकर्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो पत्रावली पर संलग्नक –5 है और जिसमें याचीकर्ता द्वारा पृष्ठ 7 व 8 पर स्पष्ट किया है कि म0का0 752 प्रियंका चन्याल ने प्रारम्भिक जाचं में यह स्वीकार किया है कि ''**मैं थाना नानकमत्ता में दिनांक 14.06.2018 तक तैनात रही। तैनाती के दौरान मैं डाक का काम करती थी। जिसमें विवेचकों द्वारा आरोप–पत्र व अंतिम रिपोर्ट व पर्चों को चढ़ाना व**

सीओ कार्यालय को भेजने का काम भी करती थी। कम्प्यूटर कक्ष में आरोप–पत्र व अंतिम रिपोर्ट की फाईल रखी रहती है उनमें से आरोप–पत्र की फाईल में से थाना नानकमत्ता में एफआईआर नं0 101/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आरोप– पत्र किता किया हुआ रखा था मैंने उपरोक्त आरोप–पत्र से थाने के रजि0 नं0 04 में तकमीला किया है।'' जिससे यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता द्वारा प्रश्नगत पर्चा नं0 2 मय तनकी व आरोप–पत्र को थाना कार्यलय में जमा किया गया था और जिसकी पुष्टि म0का0 269 ना0पु0 पिंकी नन्दा के द्वारा भी प्रारम्भिक जांच के दौरान अपने बयानात में की गयी कि ''याचीकर्ता द्वारा एफआईआर नं0 101/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम की विवेचना में आरोप–पत्र मेरे द्वारा कम्प्यूटर में फीड किया गया तदुपरान्त मैंने आरोप–पत्र की एक प्रति कम्प्यूटर से निकालकर उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार को दी गयी तथा एक प्रति ऑफिस फाइल में निकालकर लगा दी। याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि उपरोक्त दोनों म0का0 के बयानात से यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता द्वारा एफआईआर 101/18 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम की विवेचना करने के उपरान्त सीसीटीएनएस में कार्यरत म0का0 पिंकी नन्दा से आरोप–पत्र कम्प्यूटर में तैयार करवाया गया और जिसकी एक प्रति याची द्वारा प्राप्त कर उसके साथ तनकी व पर्चा नं0 2 संलग्न कर थाना कार्यालय में म0का0 प्रिंयका चन्याल को अग्रिम कार्यवाही हेतु दिया गया और जिसका तकमीला म0का0 प्रिंयका चन्याल द्वारा रजि0 नं0 4 में किया गया, यदि आरोप–पत्र मय संबंधित दस्तावेजों के प्रियंका चन्याल को न दिया गया होता तो आरोप–पत्र मय दस्तावेज तकमीला रजि0 नं0 4 में नहीं किया गया होता। म0का0 प्रिंयका चन्याल का यह कह देना कि कम्प्यूटर कक्ष में आरोप–पत्र की दूसरी प्रति से तकमीला किया गया स्वयं म0का0 गीता जो बाद में का0 प्रियंका चन्याल की जगह नियुक्त हुई के द्वारा प्रश्नगत आरोप–पत्र ढूढ़ने पर नकल रपट सं0 23 में तस्करा दर्ज किया कि पुराने दस्तावेजो में यह दीगर नक्शा नजरी, तनकी रिपोर्ट, आरोप–पत्र कुल 9 वर्क थाना हाजा पर मिले और जिसका तस्करा थाने की जी0डी0 नकल रपट नं0 23 समय 11.15 बजे दिनांक 20.09.2019 को थाना नानकमत्ता जनपद उधमसिंहनगर में किया गया जिसका उल्लेख अपने स्पष्टीकरण में याचीकर्ता द्वारा किया गया लेकिन विपक्षीगण 4 व 3 द्वारा याचीकर्ता के उपरोक्त कथनों को पूरी तरह नजर अन्दाज करते हुए द्वेषपूर्ण भाव से परिनिन्दा लेख के दण्ड से दण्डित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। अतः याचीकर्ता की याचिका स्वीकार की जावे।

10. जबकि विपक्षीगण की ओर से विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए तर्क दिया गया कि याचीकर्ता द्वारा तत्समय थाना नानकमत्ता में डाक संबंधी कार्य का निष्पादन कर रही म0का0 752 प्रियंका चन्याल को सीसीटीएनएस में नियुक्त महिला आरक्षी पिंकी नन्दा से

तैयार करवाया गया प्रश्नगत आरोप–पत्र नही दिया गया और जिसे याचीकर्ता अपने साथ ले गया, जिस पर प्रश्नगत प्रकरण में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी खटीमा द्वारा प्रारम्भिक जांच की गयी और जिनके द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 08.05.2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय उधमसिंह नगर को प्रस्तुत की गयी, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा संज्ञान लेते हुए उत्तराखण्ड { उ0प्र0 अधिनस्थ श्रेणी के पुलिस अधि0/कर्म0 की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम 14 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए एवं याची को सुनवायी का अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसके विरूद्ध याची द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 23.10.2019 को कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर में उपलब्ध करया गया, जिसके अध्ययन/ अवलोकन के उपरान्त स्पष्टीकरण में कोई बल न पाते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि लघु दण्डादेश दिनांक 25.01.2020 को पारित किया गया, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है जो उचित एवं सही है। विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर के उक्त आदेश के विरूद्ध याचीकर्ता द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र, नैनीताल को अपील प्रस्तुत की गयी जो पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा 27 अप्रैल,2020 को अस्वीकार की गयी। अतः याचीकर्ता की याचिका में कोई बल नहीं है निरस्त की जावे।

11. पत्रावली पर इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उक्त चर्चित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचीकर्ता उप निरीक्षक प्रवीण कुमार वर्ष 2018 में थाना नानकमत्ता जनपद उधमसिंह नगर में नियुक्त थे। थाना नानकमत्ता में एफआईआर नं0 101/18 अन्तर्गत धारा 60 आबकरी अधिनियम के अभियोग की विवेचना याचीकर्ता के सुपुर्द की गयी थी और जिसमें याचीकर्ता द्वारा पर्चा नं0 1 दिनांक 20.4.2018 में किता कर दिनांक 28.4.2018 व दिनांक 30.05.2018 को पर्चा नं0 2 किता कर सीसीटीएनएस में आरोप पत्र म0का0 पिंकी नन्दा को बोल–बोल कर कम्प्यूटर में फीड करवाया गया तथा आरोप–पत्र की एक प्रति मय दस्तावेज याची उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार अपने साथ ले गया जैसा कि संलग्नक 1 परिनिन्दा प्रविष्टि दण्डादेश दिनांक 25 जनवरी, 2020 के प्रथम पैरा में ही उल्लिखित किया गया।

12. अब जहां तक प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया मूल आरोप–पत्र अभियोग दैनिकी याचीकर्ता की लापरवाही के कारण गुम होने व उसके आधार पर याचीकर्ता पर अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, शिथिलता, अर्कमण्यता एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप का दोषी ठहराये जाने का प्रश्न है, के संबंध में याचीकर्ता को दिये गये कारण बताओ नोटिस संलग्न 4 के विरूद्ध याचीकर्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण विपक्षी सं0 4 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर को दिया गया जो पत्रावली पर संलग्नक 5 है

एवं विपक्षी सं0 4 द्वारा पारित लघु दण्डादेश के विरूद्ध याचीकर्ता द्वारा पुलिस उप–महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत अपील में भी अपना विस्तृत प्रत्यावेदन दिया गया जो स्पष्टीकरण के कथनो के समानान्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें याचीकर्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण के पृष्ठ सं0 7 व 8 में स्पष्टतः उल्लिखित किया है कि प्रारम्भिक जांच में म0का0 752 प्रियंका चन्याल द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि ''**मैं थाना नानकमत्ता में दिनांक 14.06.2018 तक तैनात रही। तैनाती के दौरान मैं डाक का काम करती थी। जिसमें विवेचकों द्वारा आरोप पत्र व अंतिम रिपोर्ट व पर्चों को चढ़ाना व सीओ कार्यालय को भेजने का काम भी करती थी। कम्प्यूटर कक्ष में आरोप पत्र व अंतिम रिपोर्ट की फाईल रखी रहती है उनमें से आरोप पत्र की फाईल में से थाना नानकमत्ता में एफआईआर नं0 101/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र किता किया हुआ रखा था मैंने उपरोक्त आरोप पत्र से थाने के रजि0 नं0 04 में तकमीला किया है।**''

13. याचीकर्ता द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि थाना नानकमत्ता के अपराध रजिस्टर नं0 4 में म0का0 प्रियंका चन्याल द्वारा प्रश्नगत आरोप–पत्र के प्राप्ति का तकमीला किया गया जिससे याचीकर्ता के कथनों को बल मिलता है कि याचीकर्ता द्वारा प्रश्नगत पर्चा नं0 2 मय नक्शा नजरी, तनकी के आरोप–पत्र थाने में जमा किया गया था, जिसकी पुष्टि म0का0 प्रिंयका चन्याल के बाद 1077 म0का0 गीता के नियुक्त होने पर पुराने दस्तावेजों में ढूंढने पर आरोप–पत्र मय नक्शा नजरी, तनकी रिपोर्ट के मिलना व नकल रपट जी0डी0 सं0 23 समय 11.15 बजे दिनांक 20.09.2019 को इन्द्राज करना स्पष्टीकरण के पृष्ठ 8 पर याचीकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया है कि ''**नकल रपट नं0 023 समय 11.15 बजे दिनांक 20.09.2019 थाना नानकमत्ता जनपद उधमसिंहनगर तजकरा मिलने आरोप पत्र मु0 FIR No.-101/18 /धारा 60 (1)EX Act. मय दीगर रो0खास**''।

''**थाना हाजा पर पंजीकृत मु0 अपराध संख्या में संबंधित आरोप पत्र तथा रो0खास मय दीगर नक्शा नजरी, तनकी रिपोर्ट, आरोप पत्र कुल 09 वर्क थाना हाजा में पूर्व से रखे पुराने दस्तावेजों में ढूंढने से मिल गई है, जो थाना कार्यालय में भूलवश दस्तावजों में रखी मिली संबंधित अरोप पत्र द्वारा उचित माध्यम श्रीमान क्षेत्राधिकरी महोदय तथा मा0 न्यायालय समय से प्रेषित किया जायेगा ।'' ह0 1077 म0का0 गीता**''

14. याचीकर्ता के स्पष्टीकरण में प्रश्नगत आरोप–पत्र मय नक्श नजरी, तनकी रिपोर्ट कुल 9 वर्क थाना हाजा में पूर्व से रखे पुराने दस्तावेजों में म0का0 गीता को ढूंढने से मिलने के बावत म0का0 गीता द्वारा नकल जी0डी0 में इन्द्राज करने का स्पष्टतः उल्लेख किया गया, जिसके बावजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा याचीकर्ता को मनमाने तौर पर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, शिथिलता, अर्कमण्यता एवं स्वेच्छाचारिता

का द्योतक मानते हुए परिनिन्दा लेख के लघुदण्ड से दण्डित किया गया है जब कि जांच अधिकारी तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकरी खटीमा द्वारा अपने जांच निष्कर्ष में उल्लिखित किया गया है कि ''निष्कर्ष रूप में थाना नानकमत्ता में पंजीकृत एफआईआर नं0 101/18 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम के पर्चा नं0 2 मय तनकी व आरोप पत्र के गुम हो जाने के समय उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार द्वारा किता किये गये आरोप पत्र को डाक कार्यालय के मुंशी को लिखा पढ़ी के सुपुर्द न करना व तत्समय डाक कार्यालय में तैनात म0का0 752 प्रियंका चन्याल बिना मूल पर्चे व आरोप पत्र के प्राप्त हुए ही **रजिस्टर नं0 04 में उक्त पर्चे व आरोप पत्र का उल्लेख करने का दोषी पाये गये**'' जांच अधिकारी के द्वारा जांच में दिये गये उपरोक्त निष्कर्ष स्वयं विरोधाभाषी व नियम विरूद्ध हैं, क्योंकि यदि म0का0 प्रियंका चन्याल द्वारा रजिस्टर नं0 4 में मूल पर्चे व अरोप–पत्र प्राप्त होने का उल्लेख दर्ज किया गया है तो उस दशा में म0का0 प्रियंका चन्याल के साथ–साथ याचीकर्ता उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार को भी प्रश्नगत आरोप–पत्र के गुम होने हेतु दोषी ठहराया जाना पूरी तरह विधि विरूद्ध एवं अनुचित था क्योंकि रजिस्टर नं04 में विवेचक द्वारा मूल पर्चे व आरोप–पत्र देने के बाद ही इन्द्राज किया जाता है और जिसके बाद थाना कार्यालय में नियुक्त का0 क्लर्क का कर्तव्य है कि वह आरोप–पत्र को मूल दस्तावेजों सहित प्रभारी थानाध्यक्ष से अग्रसारित करवा कर पुलिस क्षेत्राधिकरी को प्रेषित करें। तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र नैनीताल के द्वारा अपने आदेश दिनांकित 27 अप्रैल,2020 के अन्तिम पृष्ठ सं 10 के द्वितीय पैरा में यह उल्लिखित करना कि ''**उक्त अभियोग से संबंधित आरोप अपीलार्थी द्वारा सीसीटीएनएस कम्प्यूटर में स्वयं फीड करवाया गया थाना कार्यालय में नियुक्त मुंशी म0 आरक्षी 752 प्रियंका चन्याल द्वारा उक्त अभियोग में किता किये गये आरोप–पत्र कम्प्यूटर कक्ष के पत्रावली से लेकर रजि0 नं04 में तकमीला किया गया यदि वास्तव में अपीलार्थी द्वारा उक्त अभियोग से संबंधित आरोप–पत्र व अन्य अभिलेख थाने कार्यालय में नियुक्त मुंशी को दिये जाते तो उसके द्वारा रजि0 नं0 4 में रखने के उपरान्त क्षेत्राधिकारी पेशी कार्यालय ही भेजे जाते लेकिन ऐसा नहीं हुआ**'' पुलिस उप महानिरीक्षक जैसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट के विरोधाभाषी निष्कर्ष के विपरीत उपरोक्तानुसार निष्कर्ष निकालना न्यायोचित नही है। जैसा कि धारा 168 द0प्र0सं0 अधिनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस अनवेषण की रिपोर्ट के संबंध में स्पष्ट विधि व्यवस्था दी गयी है कि '' **जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई अनवेषण करता है, तब वह उस अनवेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करेगा।** उपरोक्त प्राविधान के तहत प्रार्थी थाना नानकमत्ता जनपद उधमसिंह नगर की एफआईआर नं0 101/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियोग की विवेचना की गई, और अभियोग की विवेचना में प्रार्थी द्वारा पर्चा सं0 01 दिनांक 20.04.2018 में किता किया गया और पर्चा नं0 02 दिनांक 30.05.2018 में किता कर मय आरोप–पत्र मय तनकीह रिपोर्ट के विधि

अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी श्री अशोक कुमार के समक्ष प्रस्तुत किये गये और उनसे अग्रसारित कराकर **सीसीटीएनएस में फीड कराकर डाक मुंशी म0का0 752 प्रियंका चन्याल को दिये गये जिसका उसके द्वारा थाने के रजिस्टर नं0 4 में तकमीला किया गया यदि उसको केस डायरी और आरोप पत्र न दिये गये होते तो वह कभी भी रजिस्टर नं0 4 में तकमीला कर ही नहीं सकती थी।**

15. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि याचीकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध दिये गये अपने स्पष्टीकरण में पृष्ठ 8 पर 1077 म0का0 गीता द्वारा नकल रपट नं0 23 समय 11.15 बजे 20.09.2019 थाना नानकमत्ता जनपद उधमसिंह नगर को प्रश्नगत आरोप–पत्र मय नक्शा नजरी, तनकी रिपोर्ट कुल 9 वर्क थाना हाजा में पूर्व से रखे पुराने दस्तावेजो में ढूंढने से मिलने का इन्द्राज किया है। जिसे विपक्षी सं0 3 व 4 द्वारा पूरी तरह नजर अन्दाज किया गया और इसके विपरीत याचीकर्ता को परिनिन्दा परिलेख के दण्ड से दण्डित किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी सं0 4 व 3 द्वारा न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना ही मनमाने तौर पर उपरोक्त परिनिन्दा लेख लघु दण्डादेश क्रमशः 25.01.2020 व दिनांकित 27.04.2020 को पारित किये गये, जो अपास्त होने योग्य है तदनुसार याचीकर्ता की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

याची उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार की याचिका स्वीकार की जाती है । विपक्षी सं0 4 द्वारा पारित परिनिन्दा लेख लघु दण्डादेश दिनांक 25.01.2020 एवं विपक्षी सं0 3 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27.4.2020 अपास्त किये जाते हैं। विपक्षी सं0 4 को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी सं0 4 प्रस्तुत निर्णय/आदेश प्राप्त होने के अन्दर 30 दिन में याचीकर्ता की सेवा–पुस्तिका में दर्ज की गयी परिनिन्दा प्रविष्टि को विलुप्त करें। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगे।

दिनांकः जनवरी 08, 2024 (राजेन्द्र सिंह)
देहरादून। उपाध्यक्ष (न्यायिक)

के0एन0पी0/रेनु